

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तारानगर (चूरु)

पीठारीन अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)

अनुवान इश्वर सिंह बनाम राजस्थान सरकार

प्रार्थना-पत्र संख्या - 359/2025

निर्णय दिनांक ...09/09/2025...

इश्वर सिंह पुत्र तरखा राम जाति अहीर (यादव) निवासी चंगोई तहसील तारानगर जिला चूरु।

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तारानगर जिला चूरु।

-प्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

-अप्रार्थी

-::निर्णय:-

प्रार्थी द्वारा तहसीलदार तारानगर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड कृषि भूमि रोही मौजा चंगोई तहसील तारानगर के खाता संख्या 197 खसरा सं. 34 तादादी 11.3805 हैक्ट. में प्रार्थी के नाम ईश्वरसिंह पुत्र तरखाराम है जबकि अन्य दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड में नाम इश्वर सिंह पुत्र तरखा राम है। अतः प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में ईश्वरसिंह पुत्र तरखाराम के स्थान पर इश्वर सिंह पुत्र तरखा राम अंकित किये जाने की कृपा करावें। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के संबंध में तहसीलदार तारानगर के पत्रांक राजस्व/2025/1018 दिनांक 08.07.2025 द्वारा जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। मुताबिक जांच रिपोर्ट के अन्य दस्तावेज यथा आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड इत्यादि में प्रार्थी का नाम इश्वर सिंह पुत्र तरखा राम सही नाम है। अतः कृषि भूमि रोही चंगोई तहसील तारानगर के खाता संख्या 197 खसरा सं. 34 तादादी 11.3805 हैक्ट. में प्रार्थी का नाम ईश्वरसिंह पुत्र तरखाराम के स्थान पर इश्वर सिंह पुत्र तरखा राम किया जाना उचित है।

तहसीलदार तारानगर से प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार तारानगर से प्राप्त जांच रिपोर्ट में पटवार हल्का ने प्रार्थी का नाम ईश्वरसिंह पुत्र तरखाराम व इश्वर सिंह पुत्र तरखा राम दोनों नाम एक ही व्यक्ति का होना अंकित किया है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार तारानगर की रिपोर्ट व संलग्न दस्तावेज आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र में प्रार्थी का नाम इश्वर सिंह पुत्र तरखा राम पाया जाता है। राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम ईश्वरसिंह पुत्र तरखाराम अंकित है। नाम में भिन्नता से प्रार्थी को परेशानी होना सम्भव है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कृषि भूमि रोही मौजा चंगोई तहसील तारानगर के खाता संख्या 197 खसरा सं. 34 तादादी 11.3805 हैक्ट. के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रार्थी का नाम ईश्वरसिंह पुत्र तरखाराम **Delete** कर इसके स्थान पर इश्वर सिंह पुत्र तरखा राम अंकित कर राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती के आदेश दिये जाते हैं तथा शेष राजस्व रिकॉर्ड यथावत रखा जाए। न्यायालय का यह निर्णय अपीलिय है। निर्णय की प्रति तहसीलदार तारानगर को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फाँसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 09/09/2025 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।



Rajendra
(राजेन्द्र कुमार आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरु)